

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,

प्रमुख सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 2024

विषय:- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों (एम०बी०बी०एस०/एम०डी०/एम०एस०) का शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०-3/2024/1394, दिनांक 15.07.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल कालेजों के शुल्क निर्धारण हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-1/666507/2024-71-4099/34/2021, दिनांक 12.06.2024 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-3(घ) के अनुसार फीस का तात्पर्य समस्त फीस, जिसमें शिक्षण फीस या विकास प्रभार भी है, से है। उक्त अधिनियम की धारा-10(1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी:-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप,

(दो) उपलब्ध अवसंरचना,

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत,

(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय,

(पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय,

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

4- वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए यू०पी० नीट एम०डी०ए० के प्रथम चक्र की ऑन लाईन काउंसिलिंग एवं अन्य परिस्थितियों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन की विज्ञप्ति संख्या-1/ 689993/2024-71-4099/34-2021, दिनांक 11.07.2024 द्वारा यह विनिश्चय किया गया कि निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय / विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय के स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अवधारित शुल्क को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक विधिमान्य रहेगा।

5- प्रवेश एवं फीस नियतन समिति की बैठक दिनांक 08.08.2024 को सम्पन्न हुई, जिसमें समिति को यह अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन०एम०सी०) द्वारा प्रथम बार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में एम०बी०बी०एस०/एम०डी०/एम०एस० के पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु

05 शैक्षणिक संस्थाओं को लैटर आफ परमीशन (एल0ओ0पी0) प्रदान की गयी है। उक्त बैठक में उपस्थित संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित मेडिकल कालेज के शुल्क निर्धारण के संबंध में अपने समस्त अभिलेख एवं उनके समर्थन में समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सभी संस्थाओं के लिए निर्धारित शुल्क के औसत के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 03 शैक्षणिक संस्थाओं के शुल्क निर्धारण की संस्तुति की गयी।

6- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी उक्त संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के 03 मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/एम0एस0) हेतु संबंधित संस्थाओं के सम्मुख अंकित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु एतद्वारा निर्धारित किया जाता है :-

क्र०सं०	संस्था का नाम	प्रतिछात्र/प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने वाला शुल्क (धनराशि लाख में)
1	श्री गोरखनाथ मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, गोरखपुर, उ0प्र0 (एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम)	12,14,683.00
2	नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंस, मेरठ (एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम)	21,63,946.00
3	श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सम्भल, यू0पी0 (पी0पी0 मोड) (एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम)	12,14,683.00

7- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/एम0एस0) के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु एतद्वारा निर्धारित किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु

1. हॉस्टल शुल्क-

(ए) नॉन ए0सी0 - रू0 1.50 लाख प्रतिवर्ष।

(बी) ए0सी0 - रू0 1.75 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

2. सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-

हास्पिटल, लाइब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए:- रू0 3.00 लाख (एक बार)।

3. विविध शुल्क- रू0 85,600.00 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेंट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्ट्स फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त कालेज द्वारा कोई अन्य फीस नहीं ली जायेगी।

शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम हेतु

1. हॉस्टल शुल्क-

(ए) नॉन ए0सी0 सिंगिल आकूपेन्सी - रू0 2.50 लाख प्रतिवर्ष।

(बी) ए0सी0 सिंगिल आकूपेन्सी - रू0 3.00 लाख प्रतिवर्ष।

(सी) नॉन ए0सी0 डबल आकूपेन्सी - रू0 1.75 लाख प्रतिवर्ष।

(डी) ए0सी0 डबल आकूपेन्सी - रू0 2.10 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

2. सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए:- ₹0 5.00 लाख (एक बार)।

3. विविध शुल्क- ₹0 1,28,400.00 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेंट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्ट्स फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त कालेज द्वारा कोई अन्य फीस नहीं ली जायेगी।

शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

7- शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित शैक्षणिक संस्थायें उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

8- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट <http://upmededu.in> पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

शुल्क निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)


प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक:यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव, वित्त / पिछड़ा वर्ग / समाज कल्याण / व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2. सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन0एम0सी0), नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री (चिकित्सा शिक्षा विभाग), उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बाँसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
5. प्रबन्धक प्रधानाचार्य / संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।